फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री अनील कुमार | **विपक्षी : श्री विरेन्द्र कुमार**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 57/21**

जीसीएमएस : 2021/201

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 20.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 295 पर दर्ज आराजी नम्बर 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1422, 1423, 1424, 1425, 590, 493 किता 11 कुल रकबा 1.8778 हेक्टेयर, खाता संख्या 294 पर दर्ज आराजी नम्बर 517, 518 किता 2 कुल रकबा 0.3723 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 296 पर दर्ज आराजी नम्बर 877 रकबा 0.0809 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। चूंकि वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 मौके पर नया निर्माण कार्य कर लेते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 295 पर दर्ज आराजी नम्बर 1412, 1413, 1414, 1415, 1416,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested

1422, 1423, 1424, 1425, 590, 493 किता 11 कुल रकबा 1.8778 हेक्टेयर, खाता संख्या 294 पर दर्ज आराजी नम्बर 517, 518 किता 2 कुल रकबा 0.3723 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 296 पर दर्ज आराजी नम्बर 877 रकबा 0.0809 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:11 IST
Reason: SelfAttested